

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना**  
**(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना)**

**सूचना**

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य हेतु मानदेय आधारित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी विज्ञापन सख्या- 03/2019 के आलोक में औपबधिक नियोजन सूची (275) एवं औपबधिक प्रतीक्षा सूची (168) विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई है। इसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के विभागीय वेबसाईट [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है।

वैसे अभ्यर्थी, जिनका नाम औपबधिक नियोजन सूची एवं औपबधिक प्रतीक्षा सूची में शामिल है, और जिन्होंने विभागीय पत्र सख्या-115 दिनांक 21.11.2019 में प्रकाशित सूचना के आलोक में तय तिथि के अन्दर छ मने से एक भी दस्तावेज अपलोड/समर्पित नहीं किया है, को औपबधिक सूची के प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अर्थात् दिनांक 23.01.2020 से 31.01.2020 तक विभागीय वेबसाईट पर दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा के अन्दर दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा एवं अतिम परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त औपबधिक नियोजन सूची एवं औपबधिक प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद सी0डब्लू0जे0सी0 सख्या- 14533/2019 अमित कुमार आजाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में विज्ञापन सख्या- 03/2019 पद नाम विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की कडिका-3(ii) को निरस्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने के निदेश के आलोक में किया जा रहा है।

चूँकि विज्ञापन सख्या-03/2019 विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की औपबधिक नियोजन सूची एवं औपबधिक प्रतीक्षा सूची माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में प्रकाशित किया जा रहा है, अतः भविष्य में यदि न्यायालय द्वारा प्रकाशित औपबधिक सूची के इतर कोई न्याय निर्णय लिया जाता है या पूर्व में दिए गए न्याय निर्णय को सशोधित/निरस्त किया जाता है, तो औपबधिक/अतिम सूची के आधार पर नियोजित किए गए अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व इस न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

(जय सिंह)  
निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय,  
बिहार, पटना